9/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. [illegible] पेश करने हेतु [illegible] किया जाता है। पत्रावली दि० 24/5/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

24/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण को जरिये रजि० ए.डी. तामील रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। [illegible] वकील प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Pr my Adv.
N.K. Jain
R/C
24/1/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
मुख्यालय सांगानेर

प्रार्थना पत्र संख्या ....11........../2024

मैसर्स हरिओम बिलडर्स जरिये साझेदार श्री रविन्द्र सिंह ठक्कर पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी कार्यालय सी–116 जनपथ लालकोठी, योजना विधानसभा के पास, जयपुर राज0

..........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिए सचिव, जेडीए कार्यालय जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर राज0।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. यह कि तहसील सांगानेर के ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा गिरदावर हल्का कलवाडा में प्रार्थी की एक भूमि खसरा नं. 953/1114/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर स्थित है किन्तु उक्त खसरा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्शित नहीं हो रहा है। जिस त्रुटि को दुरूस्त करवाने बावत ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि उक्त खसरा नम्बर का पूर्व में खसरा नम्बर 953/1114 रकबा 0.04 हैक्टेयर था जो साबिक राजस्व रिकॉर्ड में छीतर पुत्र नारायण, जाति जाट निवासी अजयराजपुरा के नाम दर्ज था।
3. [illegible] पश्चात् उक्त छीतर पुत्र नारायण ने उक्त खसरा नं. 953/1114 [illegible] 0.04 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/4 अर्थात 0.01

For Hariom Builders
Partner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 11/2024
निर्णय दिनांक : 24.05.2024

मैसर्स हरिओम बिलडर्स जरिये साझेदार श्री रविन्द्र सिंह ठक्कर पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी कार्यालय सी–116 जनपथ लालकोठी, योजना विधानसभा के पास, जयपुर राज०

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिए सचिव, जेडीए कार्यालय जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर राज०।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि तहसील सांगानेर के ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा गिरदावर हल्का कलवाडा में प्रार्थी की एक भूमि खसरा नं. 953/1114/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर स्थित है किन्तु उक्त खसरा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्शित नहीं हो रहा है। जिस त्रुटि को दुरूस्त करवाने बाबत ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त खसरा नम्बर का पूर्व में खसरा नम्बर 953/1114 रकबा 0.04 हैक्टेयर था जो साबिक राजस्व रिकॉर्ड में छीतर पुत्र नारायण, जाति जाट निवासी अजयराजपुरा के नाम दर्ज था। तत्पश्चात् उक्त छीतर पुत्र नारायण ने उक्त खसरा नं. 953/1114 रकबा 0.04 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/4 अर्थात 0.01 हैक्टेयर भूमि को जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 09/04/2010 उप पंजीयक, सॉगानेर प्रथम द्वारा श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल को विक्रय कर कब्जा संभला दिया जिस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण नं. 279 दिनांक 20/05/2011 स्वीकृत किया गया तथा इस नामान्तरकरण के द्वारा उक्त विक्रित भूमि का नया नम्बर 953/1114/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर बनाया जाकर उसे उक्त क्रेता रोहित अग्रवाल के नाम दर्ज किया गया। इसके बाद उक्त रोहित अग्रवाल ने अपने नाम दर्ज उक्त खसरा नं. 953/1114 के अपने नाम दर्ज 0.01 हैक्टेयर भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20/07/2011 उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय द्वारा प्रार्थी को बेचान कर दिया जिस विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 05/08/2011 दर्ज किया गया। जिसके द्वारा खसरा नम्बर 953/1114/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण की तत्कालीन राजस्व नक्शे में भी तरमीम कर खसरा नम्बर 953/1114/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर को राजस्व नक्शे में पृथक से दर्ज किया गया। इसके बाद प्रार्थी ने अपनी [illegible] के साथ उक्त खसरा नम्बर 953/1114/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर का सक्षम प्राधि[illegible] अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भू–रूपांतरण [illegible] नामान्तरकरण संख्या 358 दिनांक 17/01/2023 दर्ज किया गया जिसके आधार [illegible] उक्त भूमि प्रार्थी के स्थान पर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की गयी चूंकि [illegible] प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि को धारा 90 बी (3) के तहत जे.डी.ए. में समर्पित किया था ऐसे में धारा 90 बी (6) भू–राजस्व अधिनियम के तहत समस्त प्रकार के मालिकाना अधिकार प्रार्थी को ही प्राप्त है। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अपनी ओर से प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने उपरोक्त रूपान्तरित भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण से नियमन करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ाया है जिसके आधार पर जे.डी.ए. ने आवंटियों को पट्टे भी जारी कर दिये हैं किन्तु अभी त दिनों में हुई सेग्रिगेशन की कार्यवाही के तहत उक्त खसरा नम्बर 953/1114/1 क़बा 0.01 हैक्टेयर को न तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाया गया ना ही वर्तमान राजस्व नक्शे दिखाया गया। जिसके चलते मौके पर विभिन्न प्रकार के वाद-विवाद उत्पन्न होने लगे था प्रार्थी कम्पनी के आवंटियों ने इस बावत प्रार्थी को अवगत कराया तो प्रार्थी ने वर्तमान पुराने राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया तो उक्त त्रुटि सामने स्पष्ट हुई। उक्त त्रुटि का ता लगते ही प्रार्थी ने उक्त त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 8/01/2024 को अप्रार्थी नं. 1 व 2 के यहां प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी नं. 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए उसे पटवारी हल्का को प्रेषित किया जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 12/01/2024 को अपनी टिप्पणी करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण तहसील स्तर पर दुरूस्त किये जाने योग्य नहीं होकर न्यायालय श्रीमान के यहां से ही दुरूस्त किये जाने योग्य है उक्त टिप्पणी पर अप्रार्थी नं. 1 ने न्यायालय श्रीमान से आदेश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। जिसकी सूचना प्रार्थी को प्रदान की गई। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ। उक्त त्रुटि एक लिपिकीय त्रुटि है उक्त त्रुटि सहवन से कारित हुई है। इस बावत कोई भी आदेश किसी भी अधिकारी का नहीं है। ऐसे में उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि होने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी अधिकारी है कि वह खसरा नम्बर 953/1114/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर को राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे मे दर्ज करवा ले।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त खसरा नम्बर 953/1114/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर को पूर्व की तरह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस उपस्थित नही होने पर बहस प्रार्थी पत्रावली में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम अजयराजपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा गिरदावर हल्का कलवाडा में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 953/1114/1 को पूर्व की तरह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:26 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर